



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 5(3)राज-1 / 2024-21890

जयपुर, दिनांक : 28.08.2025

—: आदेश :—

राजस्थान भू-राजस्व (राजस्व मण्डल के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएँ और सेवा शर्तें) नियम, 1971 के नियम 5 (ख) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उक्त नियम के प्रावधानों/सेवा शर्तों के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से **सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर नियुक्त करती है :-**

1. श्री राजेश सिंह (डी.आर- 98)
2. श्री राजेन्द्र सिंह कविया (डी.आर- 99)

आज्ञा से,


(दिनेश कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अति० मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
- 2 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
- 3 शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर
- 4 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग
- 5 निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
- 6 **श्री राजेश सिंह**, कार्यकारी निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर को पालनार्थ।
- 7 **श्री राजेन्द्र सिंह कविया**, अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पालनार्थ।
- 8 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान
- 9 उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
- 10 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व विभाग
- 11 समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर राजस्थान
- 12 जिला कलक्टर, अजमेर/कोषाधिकारी, अजमेर
- 13 निदेशक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान, जयपुर
- 14 श्री मोहम्मद ताहिर, ACP, राजस्व को उक्त आदेश राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में ई-गजट का प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


28/8/25
प्रमुख शासन सचिव